

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

विधायक अवृत्ति सूची

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 1995 (वैज 8, 1917)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृष्ठक्रम: विवरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेंगे।

2. राज्यपाल की अनुपस्थिति प्राप्त विधेयक की सूचना

3. नियम 138 (1) के आधीन व्यापाराकार्य

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, बाबूलाल गौर, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्डौर के पलासिया धानात्तराति एक होटल से बड़ी भात्रा में शराब जप्त किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री गोपाल परमार, गोपीकृष्ण नेमा, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम दिल्लीद के सरपंच एवं ग्रामवासियों के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-15 गवालियर के सदस्य, श्री रघुवीर सिंह को फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र में दिनांक 5 मार्च से 1 अप्रैल, 1995 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्राविदेयनों की प्रस्तुति

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का सत्रहवां, अठारहवां, उत्तीर्णवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, लेईसवां, तथा छोटीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री अरणकास महेश, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 8 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(2) श्री बिसाहूलाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-लेवा आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

7. नियम 138 के आधीन अविलम्बनीय लोक महात्मा के विषय पर चर्चा

1 धन्ता
30 मि.

प्रवेश में बुर्ड ओलावृष्टि से जन-धन की हानि के संबंध में सर्वश्री नेमीचन्द जीन, गिरिराज मण्डलोई, बाबूलाल नायक, रामलखन शर्मा, डॉ. रामलखन सिंह (भिष्ठ), सर्वश्री बाबूलाल जीन, बाबूलाल गौर, डॉ. गोपिन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योथर), रामलखन सिंह पटेल, छत्रपति सिंह, लक्ष्मीनारायण शर्मा, रघुनन्दन शर्मा, कमल पटेल, रणजीत सिंह गुणवान, रमेश शर्मा तथा पुष्पराज सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।